न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 10023 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अपील [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible]

:: निर्णय ::

[illegible]

[illegible]

... इन्तकाल संख्या 1069 वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा ... देवी के स्थान पर मिन अपीलान्ट का सही नाम लक्ष्मी दर्ज एवं स्वीकार किये जाने की आज्ञा हाल ग्राम पंचायत खलीलपुरी को सादिर फरमाई जावे।

अपील दर्ज पंजीका की गई। प्रस्तुत अपील पर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। सरपंच ग्राम पंचायत खलीलपुरी ने उपस्थित होकर अनापत्ति जाहिर की।

हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि इन्तकाल संख्या 1069 वाके ग्राम खलीलपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान में कल्लो देवी के स्थान पर मिन अपीलान्ट का सही नाम लक्ष्मी दर्ज एवं स्वीकार किये जाने की आज्ञा हाल ग्राम पंचायत खलीलपुरी को सादिर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील बहस पर मनन किया पत्रावली का गहन अवलोकन किया। बहस मनन व पत्रावली अवलोकन उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 1069 दिनांक 22.08.2001 पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच कि जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

आदेश आज ....खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०